राजस्थान सरकार

गोपालन विभाग

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )/निगो/गोपंनसु/2016/ दिनांकः–

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषय :– निराश्रित, अनुत्पादक, आवारा गौवंश को पुर्नवासित करने के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले में गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त पंजीकृत गौशालाओं में निराश्रित, अनुत्पादक एवं आवारा गौवंश को सम्बन्धित गौशाला प्रबन्धन से विचार–विमर्श कर उनकी क्षमता एवं स्थिति के अनुरूप पुर्नवासित किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत सहायता राशि के वितरण हेतु जारी दिशानिर्देश दिनांक 23.11.2016 के बिन्दु संख्या 4.6 द्वारा उक्त आशय हेतु गौशालाओं को निर्देशित करते हुए आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही सहायता राशि की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी की गई है।

अतः आपके जिले की सहायता प्राप्त गौशालाओं के प्रबन्धकों को जिले में विचरण कर रहे निराश्रित, अनुत्पादक एवं आवारा गौवंश को आवासित कराने का श्रम करावे ताकि निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान कर जन सामान्य को असुविधा से बचायां जा सके।

Sd–
शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )/निगो/गोपंनसु/2016/ 5145-5186 दिनांकः– 29/05/2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
2. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, को प्रेषित कर लेख है कि आप सम्बन्धित गौशाला प्रबन्धन से विचार–विमर्श कर उनकी क्षमता एवं स्थिति का आंकलन कर कार्ययोजना तैयार करावे तथा जिला कलक्टर से व्यक्तिशः सम्पर्क कर सहायता प्राप्त पंजीकृत गौशालाओं में उक्त गौवंश को पुर्नवासित कराने की कार्यवाही करे।

शासन सचिव 29.5.17